बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>संकल्प</u>

पटना, दिनांक............................../

संचिका सं0–03/आ01–81/2026................/श्रीमती मरजीना खातुन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी (अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के तहत बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) का उच्चतर प्रभार प्राप्त) द्वारा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अवैध राशि की मांग किये जाने के वायरल वीडियो की स्थलीय जाँच जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुर के द्वारा की गई।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–1758 दिनांक–10.05.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती मरजीना खातुन, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर के द्वारा बच्चों से टी.सी. प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अवैध राशि लिये जाने से संबंधित वायरल वीडियो की स्थलीय जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर द्वारा अपने आवास से ही कार्यालय का संचालन किया जाता है। छात्रों द्वारा दिये गये बयान एवं अभिभावकों के शिकायत के आधार पर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अवैध राशि लेने की पुष्टि हुई है। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विभागीय नियम के प्रतिकूल कृत्य किए जाने का भी प्रतिवेदन दिया गया है।

3. श्रीमती मरजीना खातून पर बच्चों से टी.सी. प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अवैध राशि लिये जाने की शिकायत जांच में सही पाई गई है। इनके द्वारा आवास से कार्यालय चलाए जाने तथा अन्य अनियमितता बरते जाने के भी तथ्य जांच में पाए गए हैं। श्रीमती मरजीना खातून का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में सरकारी सेवकों के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल है। इनके द्वारा अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन में कदाचार कारित करने तथा रिश्वत लिए जाने का आरोप जांच में प्रमाणित पाए गए हैं।

4. अतः उपर्युक्त गंभीर आरोपों के आलोक में श्रीमती मरजीना खातून, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी (अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के तहत बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) का उच्चतर प्रभार प्राप्त) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा निर्धारित किया जाता है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह–भत्ता देय होगा।

6. आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

7. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेजा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./–

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक : 03/आ01–81/2026 I/419116 पटना, दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्रीमती मरजीना खातून, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी सम्प्रति निलंबित (निलंबन मुख्यालय– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का कार्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)।
Date: 18-05-2026 14:19:57